संलग्नक - 8

संख्या 3584 /38-3-99-500॥18॥/99

प्रेषक,

अनिल संत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :: 16 अगस्त, 1999

विषय :- विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि की धनराशि से कराये जा रहे कार्यों के लिए धनराशि की किस्तों के बारे में कुछ जनपदों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है।

इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि विधायक निधि की धनराशि की प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के पश्चात तत्काल 75 प्रतिशत अवमुक्त कर दी जाय। शेष धनराशि कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति का आंकलन करते हुए स्वयं की संतुष्टि के पश्चात अवमुक्त करने का कष्ट करें।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के बारे में निरन्तर समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। धनराशि अवमुक्त करते समय लोक सभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य 30 जुलाई, 99 को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/8/99
॥ अनिल संत ॥
विशेष सचिव।

संख्या 3584 ॥1॥/38-3-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरप्रदेश।
3- निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी/राज्य मंत्री जी।
4- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

16/8

35